दिनांक-12.12.2023 को मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष शासी परिषद की अध्यक्षता में आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 34वीं बैठक की कार्यवाही।

मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद की अध्यक्षता में दिनांक-12.12.2023 को आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 34वीं बैठक में निम्नलिखित कार्यावली बिन्दुओं पर चर्चा की गयी/ निर्णय लिया गया :-

कार्यावली बिन्दु:-01

दिनांक-28.08.2023 को आयोजित शासी परिषद की 33वीं बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

कार्यावली बिन्दु:-02

दिनांक-28.08.2023 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन को संपुष्ट किया गया।

कार्यावली बिन्दु:-03

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित आई0 टी0 प्रबंधक, आई0टी0 सहायक तथा कार्यपालक सहायक के मानदेय निर्धारण/ पुनर्निधारण का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित आई0 टी0 प्रबंधक, आई0टी0 सहायक तथा कार्यपालक सहायक के मानदेय का निर्धारण/ पुनर्निधारण दिनांक- 10.10.2018 तथा दिनांक-15.02.2019 की शासी परिषद की 21वीं एवं 22वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक-01.07.2018 के प्रभाव से किया गया था। कालक्रम में आई0 टी0 प्रबंधक वर्ग-2 में उत्क्रमण तथा आई0 टी0 सहायक वर्ग-2 (विशेष भत्ता का लाभ) का निर्धारण किया गया था।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित आई0 टी0 प्रबंधक, आई0टी0 सहायक तथा कार्यपालक सहायक के मानदेय निर्धारण/ पुनर्निधारण की आवश्यकता पर विचार विमर्श कर सम्यक विचारोपरांत इनके मानदेय का निर्धारण/ पुनर्निधारण निम्नवत करने का निर्णय लिया गया :-

कार्यपालक सहायक वर्ग – 1

क्र.सं.	विवरणी	राशि रूपये में
1.	मूल मानदेय	15295
2.	अन्य भत्ता	6554
3.	हार्डवेयर भत्ता	1200
4.	EPF अंशदान (नियोक्ता) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रूपये तक का 13%	1951
5.	कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3+4)	25000
6.	EPF अंशदान (कर्मी) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रूपये तक का 12%	1800
7.	नगद प्राप्त राशि (1+2+3-6)	21249

कार्यपालक सहायक वर्ग- 2

क्र.सं.	विवरणी	राशि रूपये में
1.	मूल मानदेय	16835
2.	अन्य भत्ता	7214
3.	हार्डवेयर भत्ता	1200
4.	विशेष भत्ता	2800
5.	EPF अंशदान (नियोक्ता) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रूपये तक का 13%	1951
6.	कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3+4+5)	30000
7.	EPF अंशदान (कर्मी) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रूपये तक का 12%	1800
8.	नगद प्राप्त राशि (1+2+3+4-6)	26249

आई0 टी0 सहायक

क्र.सं.	विवरणी	राशि रूपये में
1.	मूल मानदेय	24535
2.	अन्य भत्ता	10514
3.	विशेष भत्ता	3000
4.	EPF अंशदान (नियोक्ता) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रूपये तक का 13%	1951
5.	कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3+4)	40000
6.	EPF अंशदान (कर्मी) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रूपये तक का 12%	1800
7.	नगद प्राप्त राशि (1+2+3-6)	36249

आई0 टी0 प्रबंधक वर्ग – 1

क्र.सं.	विवरणी	राशि रूपये में
1.	मूल मानदेय	40635
2.	अन्य भत्ता	17414
3.	EPF अंशदान (नियोक्ता) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रूपये तक का 13%	1951
4.	कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3)	60000
5.	EPF अंशदान (कर्मी) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रूपये तक का 12%	1800
6.	नगद प्राप्त राशि (1+2-5)	56249

आई0 टी0 प्रबंधक वर्ग – 2

क्र.सं.	विवरणी	राशि रूपये में
1.	मूल मानदेय	53235
2.	अन्य भत्ता	22814
3.	EPF अंशदान (नियोक्ता) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रूपये तक का 13%	1951
4.	कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3+7*)	78000/ 83000*
5.	EPF अंशदान (कर्मी) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रूपये तक का 12%	1800
6.	नगद प्राप्त राशि (1+2+7*-5)	74249/79249*
7.	विशेष भत्ता*	5000

*मात्र उन आई0 टी0 प्रबंधक को देय होगा जिनके द्वारा आई0 टी0 प्रबंधक के पद (वर्ग-1 तथा वर्ग-2 की कार्यरत अवधि जोड़कर) पर सफल तरीके से दस साल की सेवा पूर्ण कर ली गयी है।

यह भी निर्णय लिया गया कि:-

1. यह मानदेय दिनांक-**01.01.2024** के प्रभाव से लागू होगा।
2. दिनांक- **01.01.2024** से सफल तरीके से **01** वर्ष की नियोजन अवधि पूर्ण करने पर मानदेय में वार्षिक वृद्धि दी जायेगी। वार्षिक वृद्धि का दर प्राप्त हो रहे मूल मानदेय एवं अन्य भत्ता पर **05** प्रतिशत होगा।
3. वार्षिक वृद्धि प्रत्येक वर्ष सफल तरीके से पूर्ण की गयी अवधि के उपरांत पड़ने वाले **01**ली जनवरी/ **01**ली जुलाई को प्रभावी होगा।
4. कार्यपालक सहायक वर्ग-**1** से कार्यपालक सहायक वर्ग-**2** में जाने के लिये पूर्व के अनुसार पॉच वर्ष की कार्यपालक सहायक वर्ग-**1** में सफल तरीके से नियोजन पूर्ण करना आवश्यक होगा तथा यह उत्क्रमण सफल तरीके से पूर्ण की गयी अवधि के उपरांत पड़ने वाले **01**ली जनवरी/ **01**ली जुलाई को प्रभावी होगा।
5. आई0 टी0 सहायक के सभी कर्मी वर्तमान में वर्ग-**2** का लाभ प्राप्त कर रहे है। अतः इनके मामले में दो वर्गों का अलग-अलग निर्धारण के स्थान पर मात्र एक वर्ग आई0 टी0 सहायक निर्धारण किया जाता है। सभी को इसी वर्ग में निर्धारित मानदेय प्राप्त होगा।
6. आई0 टी0 प्रबंधक वर्ग-**1** से आई0 टी0 प्रबंधक वर्ग-**2** में जाने के लिये पूर्व के अनुसार पॉच वर्ष की आई0 टी0 प्रबंधक वर्ग-**1** में सफल तरीके से नियोजन पूर्ण करना आवश्यक होगा तथा यह उत्क्रमण सफल तरीके से पूर्ण की गयी अवधि के उपरांत पड़ने वाले **01**ली जनवरी/ **01**ली जुलाई को प्रभावी होगा।
7. आई0 टी0 प्रबंधक वर्ग-**2** में कार्यरत आई0टी0 प्रबंधक जिनके द्वारा **10** वर्ष से अधिक नियोजन अवधि (वर्ग-**1** तथा वर्ग-**2** की कार्यरत अवधि जोड़कर) सफल तरीके से पूर्ण कर चुके हैं को **5000** रूपये प्रतिमाह का अतिरिक्त विशेष भत्ता देय होगा।
8. इन मानदेय विवरणियों में सम्मिलित राशियों/परिलब्धियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की मानदेय से संबंधित राशि/भत्ता देय नहीं होगा।
9. कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधानों के आलोक में नियोक्ता तथा कर्मी के अंशदान की गणना की जायेगी। उक्त क्रम में पूर्व की भांति **15000** रूपये मानदेय की अधिसीमा के आलोक में कटौतियां की जायेगी।
10. मानदेय के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश/पत्र/परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

ह0/-
(शिवेन्दु रंजन)
उप निदेशक, बिपार्ड
महानिदेशक, बिपार्ड के प्रतिनिधि

ह0/-
(अरविन्द कुमार चौधरी)
विशेष सचिव,
सूचना प्रावैधिकी विभाग

ह0/-
(ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव)
विशेष सचिव-सह-प्रभारी सचिव,
विधि विभाग

ह0/-
(डॉ. प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सो.

ह0/-
(डॉ. बी. राजेन्दर)
मिशन निदेशक-सह-
प्रधान सचिव, सा. प्र. विभाग

ह0/-
(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव
वित्त विभाग

ह0/-
(विवेक कुमार सिंह)
विकास आयुक्त, बिहार

ह0/-
(आमिर सुबहानी)
मुख्य सचिव, बिहार

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

ज्ञापांकः- बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध-10/2019 सो0- 61, दिनांक- 09/01/2024

प्रतिलिपिः- महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/सचिव, विधि विभाग, बिहार को कार्यवाही की प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

9/1/24

अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांकः- बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध-10/2019सो0- 61 दिनांक- 09/01/2024

प्रतिलिपिः-मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद एवं विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

9/1/24

अपर मिशन निदेशक